अध्याय 1 - प्रस्तावना

1.1 नवीन पेंशन योजना[1] का प्रारम्भ

वर्ष 2001-02 के बजट में उल्लेख किया गया था कि केन्द्र सरकार {यानि भारत सरकार (जीओआई)} की पेंशन देयता अरक्षणीय अनुपात तक पँहुच गई थी और मौजूदा पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता थी तथा सरकारी सेवा में नव-नियुक्त व्यक्तियों के लिए एक नवीन पेंशन योजना विकसित करने को शामिल करते हुए कदम उठाये जाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, सरकार द्वारा इस दिशा में लिए जाने वाले अगले कदम के लिए मार्ग दर्शिका प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एचएलईजी) की स्थापना (जून 2001) की गई जिसने अपना प्रतिवेदन फरवरी 2002 में प्रस्तुत किया। असंगठित क्षेत्र के संबंध में, ओएएसआईएस (वृद्धावस्था सामाजिक तथा आय सुरक्षा) परियोजना जो कि सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित थी, ने जनवरी 2000 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कुल पेंशन देयता 1993-94 में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत (स्थिर मूल्यों पर) से बढ़कर 2002-03 में जीडीपी का 1.66 प्रतिशत (स्थिर मूल्यों पर) हो गई थी तथा वास्तविक प्रवाह 1993-94 के ₹5,206 करोड़ से बढ़कर 2003-04 (बीई) में ₹23,158 करोड़ (दूरसंचार के अतिरिक्त) हो गया। उपरोक्त को देखते हुए एनपीएस को प्रारम्भ करने के लिए सरकार के निर्णय के अनुसार तथा अन्य देशों के अनुभवों के साथ-साथ ओएएसआईएस प्रतिवेदन तथा एचएलईजी प्रतिवेदन की सिफारिशों का निरीक्षण करने के उपरान्त बजट 2003-04 में सरकारी सेवा तथा अन्य सेवाओं में आने वाले नवनियुक्तों के लिए नवीन पेंशन योजना की घोषणा की गई।

31 मार्च 2018 तक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अन्तर्गत आने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 17,58,144 थी और राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या 31,63,415 थी। यदि एनपीएस विफल होता है, तो इन अभिदाताओं को सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में पेंशन प्रदान करने का दायित्व उनकी मौजूदा पेंशन देनदारियों के अतिरिक्त, केन्द्रीय और सम्बन्धित राज्य सरकारों पर पड़ेगा।

---

[1] नवीन पेंशन योजनाः वित्तीय सेवा विभाग ने अपने दिनांक 13 अगस्त 2009 के का.ज्ञ. द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' (एनपीएस) कर दिया।

1.2 सरकारी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीः बुनियादी विशेषताएँ

1.2.1 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए

सरकार ने 2003-04 की बजट घोषणा को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र सरकार की सेवा (सशस्त्र सेना को छोड़कर) में नवनियुक्तों के लिये एक नवीन पुनर्गठित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली अर्थात् एनपीएस को प्रारम्भ करने से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित (23 अगस्त 2003) किया। नवीन प्रणाली को परिभाषित लाभ पेंशन की तत्कालीन प्रणाली को पदस्थापित करना था। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की बुनियादी विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का प्रारम्भ[2] किया जिसमें वेतन और मंहगाई भत्ते (डीए) का 10 प्रतिशत मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाना था तथा इतना ही योगदान केंद्र सरकार का होना था। अंशदानों तथा निवेश प्राप्तियों को पेंशन के टीयर-। गैर-आहरणीय खाते में जमा किये जाने थे। यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि परिभाषित लाभ पेंशन और सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के तत्कालीन विद्यमान प्रावधान केंद्र सरकार की सेवा में नई भर्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
- सामान्यतः व्यक्ति 60 वर्ष का होने पर या उसके बाद पेंशन प्रणाली के टीयर-। से पेंशन प्रणाली से बाहर निकल सकते थे और बाहर निकलने पर उनको पेंशन धनराशि के 40 प्रतिशत का निवेश भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई.) विनियमित जीवन बीमा कम्पनी से वार्षिकी क्रय में अनिवार्य रुप से करना होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों के पास 60 वर्ष से पहले भी पेंशन प्रणाली को छोड़ने का विकल्प होगा हालाँकि इस मामले में अनिवार्य वार्षिकीकरण पेंशन धनराशि का 80 प्रतिशत होगा।
- अधिसूचना (दिसम्बर 2003) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के पास आहरणीय खाता, टीयर-।। का भी स्वैच्छिक विकल्प होगा। सरकार इस खाते में कोई अंशदान नहीं देगी।

---

2 एनपीएस का प्रारम्भ दिनांक 22 दिसम्बर 2003 की अधिसूचना के द्वारा हुआ था। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार के सह-अंशदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा।

पुरानी पेंशन प्रणाली तथा एनपीएस में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:

तालिका 1.1

विवरण	पुरानी पेंशन प्रणाली	एनपीएस (टीयर-I)
कर्मचारी का अंशदान	कुछ नहीं	10 प्रतिशत (मूल वेतन और महंगाई भत्ते का योग)
सरकार द्वारा पेंशन की गारंटी	हाँ	नहीं
पेंशन की धनराशि	अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत	अंतिम वेतन से कोई संबंध नहीं
मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई महंगाई राहत	हाँ	नहीं
सारांशीकरण की अनुमत राशि	40 प्रतिशत तक	कोई विकल्प नहीं
जीपीएफ पात्रता	हाँ	नहीं
जीपीएफ/एनपीएस निकासी	अस्थाई: 15 वर्षों से पहले स्थाई: 15 वर्षों के बाद	टीयर-I: मई 2015 [3] तक अनुमति नहीं

1.2.2 केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के कर्मचारियों के लिए

व्यय विभाग (डीओई) के का.ज्ञा. दिनांक 13 नवंबर 2003 के अनुसार, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी स्वायत्त निकायों में दिनांक 1 जनवरी 2004 अथवा उसके बाद भर्ती होने वाले नवनियुक्तों पर एनपीएस लागू होगा।

1.2.3 राज्य सरकार तथा राज्य स्वायत्त निकायों (एसएबी) के कर्मचारियों के लिए

राज्य सरकारों और उनके स्वायत्त निकायों ने भी विभिन्न अवसरों पर अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस संरचना को अपनाया। एनपीएस प्रणाली को अपनाने तथा अधिसूचित करने की तिथि का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक I(क)** में दिया गया है।

1.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की संरचना

सरकार के निर्णय के अनुसार (23 अगस्त 2003) तथा आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के अनुसार:

---

[3] कुछ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये अभिदाता द्वारा किये गये अंशदान के 25 प्रतिशत को आंशिक रुप से निकाला जा सकता है जैसा कि पीएफआरडीए (एनपीएस के अन्तर्गत निकास एवं प्रत्याहरण) विनियम, 2015 द्वारा अधिसूचित किया गया है (मई 2015)।

i. एक स्वतंत्र पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), जो नई दिल्ली में स्थित होगा; पेंशन बाजार को विनियमित तथा विकसित करेगा;

ii. एक केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग तथा लेखांकन एजेंसी (सीआरए) होगी जो नवीन पेंशन योजना से जुड़े सभी व्यक्तियों के अभिलेख रखने के लिए केंद्रीय सुविधा होगी।

iii. कई पेंशन निधि प्रबंधक (पीएफएम) होंगे, जिनमें से प्रत्येक तीन तरह[4] की योजनाएँ- क, ख, ग, प्रस्तावित करेगा; तथा

iv. भागीदार इकाइयाँ (पेंशन फंड तथा सीआरए) पिछले निष्पादन के बारे में आसानी से समझ आ सकने वाली जानकारी प्रदान करेंगी, ताकि व्यक्ति सूचना के आधार पर जो योजना चुननी है, उसका चुनाव कर सके।

एनपीएस में मुख्य कार्यकर्त्ता {विवरण **अनुलग्नक I(ख)** में} इस प्रकार हैं:

- **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)**
  पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का गठन अक्तूबर 2003 में एक अंतरिम विनियामक (वैधानिक विनियामक का पूर्ववर्ती) के रुप में किया गया था। पीएफआरडीए अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित और 01 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था। पीएफआरडीए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी संस्थानों/संगठनों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के द्‌वारा अपनाई गई एनपीएस को नियंत्रित करता है।

- **केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए)**
  केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी पीएफआरडीए और अन्य एनपीएस मध्यस्थों जैसे- पेंशन निधि, वार्षिकी सेवा प्रदाता, न्यासी बैंक आदि के मध्य एक प्रचालन सेतु के रुप में कार्य करती है। यह सभी एनपीएस अभिदाताओं के लिए रिकॉर्ड कीपिंग, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्य प्रदान करती है।

---

4 विकल्प क के तहत लगभग 60 प्रतिशत परिसंपत्तियां सरकारी कागज के रुप में, 30 प्रतिशत निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बॉंड के रूप में तथा 10 प्रतिशत इक्विटी के रूप में रहेंगी। विकल्प ख में परिसंपत्ति आवंटन 40 प्रतिशत सरकारी कागज के रुप में, 40 प्रतिशत निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बॉंड के रुप में तथा 20 प्रतिशत इक्विटी के रुप में होगा। विकल्प ग में पेंशन परिसंपत्ति का 25 प्रतिशत सरकारी कागज में, 25 प्रतिशत निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बॉंड के रुप में तथा 50 प्रतिशत इक्विटी के रुप में होगा।

- **न्यासी बैंक**

  न्यासी बैंक एनपीएस के तहत प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार निधियों के दिन-प्रतिदिन प्रवाह और बैंकिग सुविधाओं के लिए जिम्मेदार है।

- **पेंशन निधियाँ**

  पेंशन निधियाँ एनपीएस के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन राशि (कॉर्पस) का प्रबंधन करती हैं।

- **अभिरक्षक**

  अभिरक्षक एनपीएस न्यास के नाम पर डीमैट खाते में योजना प्रतिभूतियां रखता है और प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लिए अभिरक्षण तथा निक्षेपी भागीदार सेवाएं प्रदान करता है।

- **वार्षिकी सेवा प्रदाता**

  वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) एनपीएस अभिदाताओं की वार्षिकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आईआरडीएआई से लाइसेंस प्राप्त और विनियमित जीवन बीमा कंपनियां हैं।

- **एनपीएस न्यास**

  एनपीएस न्यास का गठन अभिदाताओं के हित में एनपीएस के तहत परिसंपत्तियों तथा निधियों की देखभाल के लिए किया गया है।

1.4 संरचना में निधियों/सूचना का प्रवाह

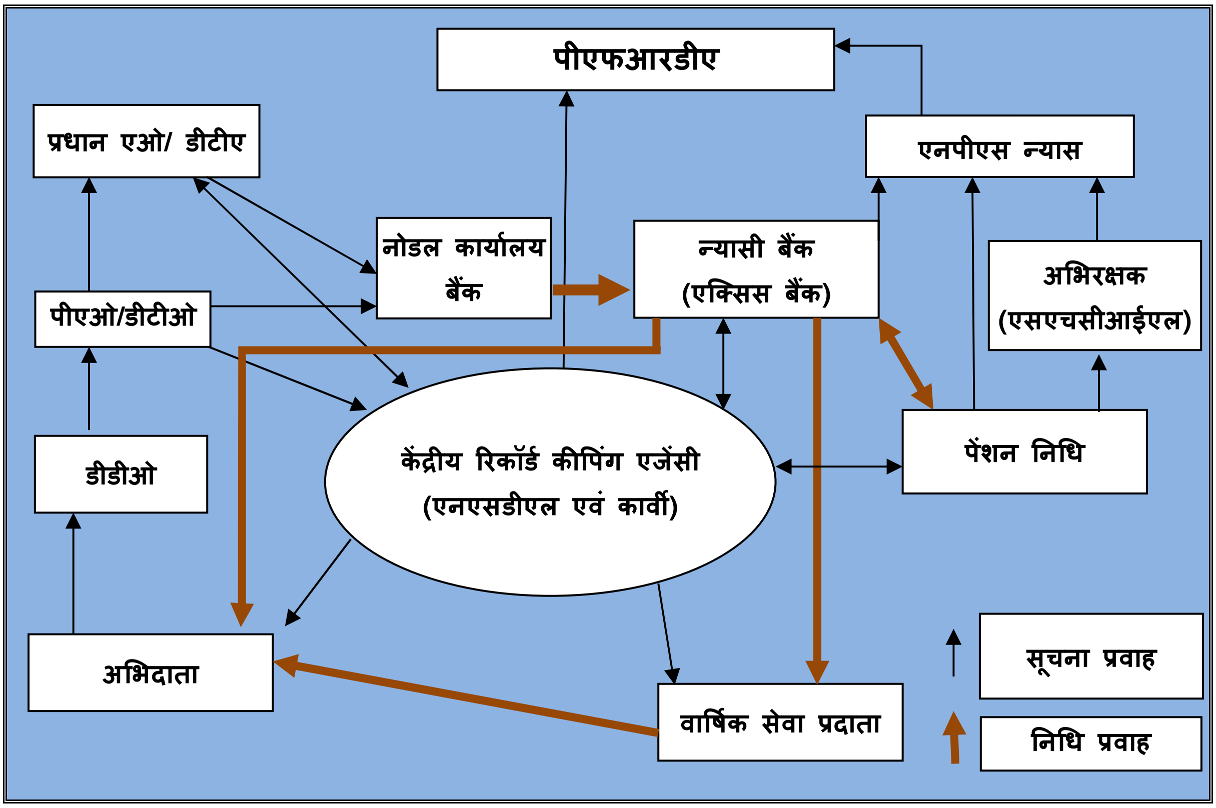

एनपीएस में अभिदाताओं के नामांकन/पंजीकरण के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) परिभाषित अंशदान की कटौती करता है तथा काटे गये अंशदानों से युक्त वेतन बिलों को वेतन तथा लेखा अधिकारी (पीएओ)/जिला राजकोष अधिकारी (डीटीओ) को भेजता है।

इसके बाद, नोडल कार्यालय[5] अभिदाता के विवरण को नवीन पेंशन योजना अंशदान लेखांकन नेटवर्क (एनपीएस सीएएन) पर अपलोड करते हैं तथा एनपीएस अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता) को अपने बैंकों के माध्यम से न्यासी बैंक को भेजते हैं।

इसके बाद न्यासी बैंक एनपीएस निधि को पेंशन निधि को प्रेषित कर देता हैं, पेंशन निधि पीएफआरडीए द्वारा दिए गए निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीएस निधि का निवेश करती है तथा दैनिक आधार पर प्रत्येक दिन के अंत में प्रतिभूतियों की खरीद और निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के मूल्यांकन के लिए अभिरक्षक के साथ संपर्क होता है।

जब एनपीएस से अभिदाता बाहर जाता है, तो न्यासी बैंक से अभिदाता (एकमुश्त) और वार्षिकी सेवा प्रदाता (वार्षिकी) को धन का प्रवाह होता है।

---

5 पीएओ/डीटीओ/कोषागार तथा लेखा निदेशालय (डीटीए)

1.5 नोडल कार्यालय

नोडल कार्यालय वे कार्यालय हैं जो अभिदाताओं तथा सीआरए के बीच सेतु के रुप में कार्य करते हैं। इनमें केंद्र सरकार के तहत प्रधान लेखा अधिकारी (प्रधान एओ), पीएओ तथा डीडीओ तथा राज्य सरकारों के अंतर्गत समरूप कार्यालय शामिल हैं। निम्न तालिका में 30 अप्रैल 2018 तक सरकारी क्षेत्र के एनपीएस मॉडल में शामिल नोडल कार्यालयों और अभिदाताओं की संख्या को दर्शाया गया हैः

तालिका 1.2

क्षेत्र	डीडीओ	पीएओ/डीटीओ	प्रधान एओ/डीटीए	कुल अभिदाता (लाख में)
केंद्र सरकार[6]	15,443	2,885	131	17.58
राज्य सरकार	2,20,217	2,249	67	31.63
योग (क)	**2,35,660**	**5,134**	**198**	**49.21**
केन्द्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों में नोडल कार्यालयों और अभिदाताओं की संख्या इस प्रकार हैः				
केंद्रीय स्वायत्त निकाय	3,860	1,834	556	1.71
राज्य स्वायत्त निकाय	11,528	3,214	376	7.09
योग (ख)	**15,388**	**5,048**	**932**	**8.8**
योग (क)+(ख)	**2,51,048**	**10,182**	**1,130**	**58.01**

डीडीओ का प्रमुख कार्य अभिदाताओं से स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रैन) के लिए विधिवत भरा हुआ आवेदन प्राप्त करना है, जबकि पीएओ अभिदाता अंशदान फाईल (एससीएफ) एनपीएससीएएन पर अपलोड करता है जिसमें पेंशन अंशदान, प्रैन, डीडीओ, धनराशि आदि का विवरण होता है। प्रधान एओ, पीएओ तथा डीडीओ के कार्य की निगरानी करता है और शिकायत निवारण की निगरानी करता है।

नोडल कार्यालयों की भूमिका और कार्यों के विवरण की चर्चा **अनुलग्नक I(ग)** में की गई है।

---

[6] केंद्र सरकार में ये लेखांकन शीर्ष संगठन सम्मिलित हैः सिविल, रक्षा (असैनिक कर्मचारी), रेलवे, डाक, दूरसंचार व दिल्ली की एनसीटी